न्यायालय कलेक्टर, जिला बड़वानी (म0प्र0)

क्रमांक/7261/रीडर/भूमि आबंटन/2018 बड़वानी, दिनांक 29/12/2018

प्र.क.06/अ–74/2018–19

आदेश

(पारित दिनांक 29/12/2018)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण बडवानी व्दारा उनके पत्र क्रमांक 1340/दिनांक 23–7–2018 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनान्तर्गत पाटी, पानसेमल, सेंधवा विकासखण्ड के मार्ग निर्माण में वन भूमि कुल रकबा 15.155 हैक्टर प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले उतनी ही गैर वन भूमि अथवा छोटे–बडे झाड जंगल मद की दुगूनी भूमि 30.310 हैक्टर वन विभाग को उपलब्ध कराने की मांग की गई ।

2– उक्त संबंध में भू–अभिलेख बडवानी के पत्र क्रमांक 2142/दिनांक 14–9–2018 से तहसीलदार ठीकरी का पत्र क्रमांक/2499/दिनांक 4–9–2018 प्राप्त हुआ। जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत मार्गो का निर्माण वन क्षेत्र में किया जाना है जिसमें वन मार्गो की कुल 13.395 हैक्टर भूमि सडक निर्माण में आ रही है जिसके बदले वन विभाग को छोटे बडे झाड जंगल हेतु दुगनी भूमि 26.74 हैक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

3– तहसीलदार ठीकरी व्दारा संयुक्त स्थल निरीक्षण उपरान्त ग्राम टेमला तहसील ठीकरी के सर्वे नंबर 354/1 रकबा 23.985 हैक्टेयर तथा बघाडी के सर्वे नंबर 632/21 रकबा 4.675 हैक्टेयर का चयन किया जाकर कुल 27.790 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने संबंधी प्रस्ताव इस कार्यालय् को प्राप्त हुआ ।

4– उक्त प्रस्ताव तहसीलदार ठीकरी को नियमानुसार जांच सम्पन्न कर प्रतिवेदन योग्य माध्यम से भिजवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार ठीकरी व्दारा नियमानुसार जांच सम्पन्न कर विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त करते हुए ग्राम टेमला तहसील ठीकरी के सर्वे नंबर 354/1 रकबा 23.985 हैक्टेयर तथा बघाडी के सर्वे नंबर 632/21 रकबा 4.675 हैक्टेयर कुल रकबा 27.790 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने में कोई आपत्ति न होना बतलाते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राजपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया ।

5– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राजपुर व्दारा तहसीलदार ठीकरी के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत वन मार्गो की भूमि कुल रकबा 13.395 हैक्टर भूमि सडक निर्माण में आ रही है जिसके बदले वन विभाग को छोटे–बडे झाड जंगल हेतु ग्राम

Scanned by CamScanner

टेमला तहसील ठीकरी के सर्वे नंबर 354/1 रकबा 23.985 हैक्टेयर तथा बघाडी के सर्वे नंबर 632/21 रकबा 4.675 हैक्टेयर कुल रकबा 27.790 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने की अनुशंसा सह प्रकरण प्रस्तुत किया गया ।

अतएव तहसीलदार ठीकरी के जांच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राजपुर की अनुशंसा के आधार पर ग्राम टेमला तहसील ठीकरी के सर्वे नंबर 354/1 रकबा 23.985 हैक्टेयर तथा बघाडी के सर्वे नंबर 632/21 रकबा 4.675 हैक्टेयर कुल रकबा 27.790 हैक्टर भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 कमांक 2 की कंडिका 5 के तहत निम्न शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है।

1- म.प्र.शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू-भाटक आदि के संबंध में कोई शासनादेश/निर्देश दिये जाते है या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है तो उन्हें मानने के लिये आवेदक विभाग बाध्य होगा।

2- भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिय भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त होकर शासकीय भूमि पुनः शासन में समाविष्ट होगी।

(अमित तोमर)
कलेक्टर
जिला बड़वानी,म.प्र.

पृ.कमांक/7262/रीडर/भूमि आबंटन/2018 बड़वानी, दिनांक 29/12/2018

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।
2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
3- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4- मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, इन्दौर ।
5- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल बड़वानी।
6- महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई क.1 बडवानी।
8- प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख जिला-बडवानी ।
7- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर ।
8- तहसीलदार ठीकरी की ओर आदेश की प्रति सह मूल प्रकरण भेजकर लेख है कि नियमानुसार सम्पूर्ण पूर्णता एवं आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में पृविष्ट कर संशोधित अभिलेख संलग्न करते हुए मूल प्रकरण वापस प्रेषित करें ।

सलग्न-मूल प्रकरण

Collector & District Magistrate Distt. BARWANI (M.P.)

कलेक्टर,
जिला बड़वानी,म.प्र.

Scanned by CamScanner